

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENT. & LUXURY TAX,  
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

No.F.1/Ex/PQ/2021-22/ 2602

Dated: 30 12.2021

To,

The Deputy Secretary (Question Branch)  
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,  
Govt. of NCT of Delhi,  
Old Secretariat, Delhi-110054.

**Sub: Reply with respect to Un-starred Question No.173 raised by Sh. Ajay Mahawar.**

Sir,

Please refer to your letter No.F11(B-1) VI/2020-25/VSS/PB/280 dated 25.12.2021 on the subject cited above. I am to enclose herewith reply of the above mentioned question.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Encl: As above.

  
**ASSISTANT COMMISSIONER (PQ)**

उत्तर देने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग का नाम : आबकारी, मनोरंजन, विलासिता विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
विभाग का पता : एल एड एन ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-11000

अतारंकित प्रश्न संख्या :- 173


दिनांक :- 04.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अजय महावर

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली के अन्दर नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर शराब के ठेके खोलने की अनुमति है या नहीं। यदि नहीं, तो हाइवे से कितने मीटर अन्दर तक खोले जा सकते हैं;	आबकारी नीति 2021-22 के अंतर्गत नेशनल हाइवे अथवा स्टेट हाइवे के निकट शराब के ठेके खोलने के संदर्भ में कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं।
(ख) गली मोहल्ले में खुलने वाले शराब के ठेक आर.डब्ल्यू.ए. एवं महिलाओं के विरोध करने पर भी क्या खोले जा सकते हैं। यदि हां, तो बताएं कि जनता के विरोध का पैमाना क्या है, जिससे शराब के ठेके न खोले जा सकें;	आबकारी नीति 2021-22 में इस विषय पर कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं, हालांकि आबकारी नीति 2021-22 के अंतर्गत शराब व्यापारियों द्वारा कानून एवं व्यवस्था को सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
(ग) क्या किसी भी मोहल्ला रागा या ग्राम रागा से इस विषय में पूछकर ठेके खोले गए हैं;	आबकारी नीति 2021-22 के अंतर्गत इस विषय से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।
(घ) क्या दिल्ली में महिलाओं के लिए पिक ठेके खोले जा रहे हैं, मापदंडों सहित पूर्ण विवरण दें;	आबकारी नीति 2021-22 के अंतर्गत इस विषय से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।
(ङ) क्या शराब के ठेके खोलने की समय सीमा देर रात्रि तक बढ़ाई गई है एवं युवाओं के शराब पीने की उम्र घटाई गई है; और	वर्तमान नियम एवं गाइडलाइन्स के तहत शराब के ठेके खोलने की समय-सीमा नहीं बढ़ाई गई है। शराब के ठेके सुबह 10 बजे से रात्री 10 बजे तक खुल सकते हैं। युवाओं के शराब पीने की उम्र नहीं घटाई गई है। तदपि नई नीति में समीपवर्ती राज्यों में शराब के सेवन की उम्र को ध्यान में रखते हुए उम्र सीमा तय करने की बात कही गई है।
(च) क्या यह शराब के ठेके मास्टर प्लान-2021, Mixed use Regulation के नियमों को ध्यान में रख कर खोले जा रहे हैं?	जी हाँ

हस्ताक्षर

()

आयुक्त (आबकारी)

**ARAVA GOPI KRISHNA**  
**IAS**  
Commissioner Excise  
Entt. & Luxury Tax  
Govt. of NCT of Delhi  
Vikas Bhawan, New Delhi-2